जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/palm/13 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 17 जून 2022

जितना भ्रष्टाचार आबकारी विभाग के इतिहास मे आज नहीं हो हुआ, उतना इस चालू वित्तीय वर्ष मे हो रहा है!!

मंदिरो,ऐतिहासिक स्मारकों के बाद अब औद्योगिक क्षेत्र मे भी खोल दी शराब की दुकान!!!

आबकारी विभाग,जयपुर शहर के वृत झोटवाड़ा के वार्ड संख्या 30,31(G) मे स्थित शालीमार चौराया,झोटवाड़ा इंड. एरिया मे लाईसेन्सी अंजु कंवर को स्वीकृत की गयी कम्पोजीट शराब की दुकान का है मामला

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के अनुसार किसी औद्योगिक क्षेत्र मे नहीं लग सकती शराब की दुकान!!! लेकिन राजस्व हित की आड़ मे जिम्मेदार ही कर रहे नियमों की ऐसी की तैसी!!!

मद्द संयम नीति गयी भाड़ मे!!!

सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

शालीमार चौराहे,झोटवाड़ा इंड. क्षेत्र मे संचालित लाईसेन्सी अंजु कंवर की दुकान

आबकारी अधिकारी खुद ही उड़ा रहे राजस्थान आबकारी नियम 75 का मखौल

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 मे स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्कूल,कॉलेज,अस्पताल,धार्मिक स्थल,सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान,हरिजन बस्ती,औद्योगिक क्षेत्र,लेबर कॉलोनी के 200 मीटर के दायरे मे कोई भी शराब की दुकान नहीं लगाई जाएगी|साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्कूल,कॉलेज से भिन्न शिक्षण संस्थान होने की स्थिति मे उनके बंद होने के कम से कम एक घंटे बाद ही उस शराब की दुकान को खोलने की अनुमति दी जा सकेगी|

ऊपर की तस्वीर मे स्पष्ट है कि आबकारी नियम को धत्ता बताते हुए,आबकारी विभाग,जयपुर शहर के वृत झोटवाड़ा के वार्ड संख्या 30,31(G) मे स्थित शालीमार चौराया,झोटवाड़ा इंड. एरिया मे लाईसेन्सी अंजु कंवर को कम्पोजीट शराब की दुकान की लोकेशन स्वीकृत कर दी गयी|नियमों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी पर कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए लेकिन यहाँ तो औद्योगिक क्षेत्र के बीच मे ही शराब की दुकान खोल दी गयी है|इस दुकान के कारण स्थानीय फैक्ट्रियों,कारखानो मे कार्यरत सैकड़ो दिहाड़ी मजदूरो को अपने खून पसीने की कमाई से इस दुकान से शराब खरीदते और यही खड़े होकर पीते देखा जा सकता है|

मद्द संयम नीति गयी भाड़ मे

राज्य के मुख्यमंत्री के रूप मे जब श्री अशोक गहलोत ने पद संभाला था तो जनता को आश्वस्त किया था कि राज्य सरकार राज्य के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और युवा पीढ़ी को मादक पदार्थो से दूर रखने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है और सरकार मद्द संयम नीति की कढ़ाई से पालना कराने मे कोई कसर नहीं छोड़ेगी|लेकिन लगता है राज्य का आबकारी विभाग ही मुख्यमंत्री महोदय के इन ब्रहम वाक्यों को तीली दिखाने का काम कर रहा है|जिसका परिणाम यह है कि रात 8 बजे बाद शराब बेचना,ओवररेट पर शराब बेचना,शराब की दुकानों पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगना,नियमविरुद्ध अस्पतालो,धार्मिक स्थलो,शिक्षण संस्थानो,मजदूर कॉलोनियों के 200 मीटर के दायरे मे शराब की दुकानों की लोकेशन स्वीकृत करना अब आम बात हो गयी है|जिम्मेदार अधिकारियों का दु:साहस तब देखने को मिलता है जब ऐसे मामले टीवी चैनलो,समाचार पत्रों,नागरिक संगठनो के माध्यम से आबकारी विभाग के पास पहुँचते है तो राजस्व हित का हवाला देकर,मामले को ठंडा कर दिया जाता है|

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 – दुकानों की अवस्थिति

75(1) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा या भारत निर्मित विदेशी मदिरा या हैम्प औषधियों के खुदरा विक्रय का लाईसेन्सधारी अपनी दुकान केवल संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही रखेगा।

---

(2) देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा के खुदरा विक्रय की दुकान महाविद्यालयों, सीनियर माध्यमिक विद्यालय सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, अस्पताल, पूजास्थल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, कारखाना या श्रमिक अथवा हरिजन कॉलोनी से 200 मीटर की दूरी के अन्दर अवस्थित नहीं होगी ।

(3) खुदरा विक्रय के लिये दुकान जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एक स्थान से दुसरे स्थान पर बदली नहीं जायेगी ।

(4) जिला आबकारी अधिकारी पर्याप्त कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् किसी दुकान को एक स्थान से दुसरे स्थान पर बदल सकेगा और दुकान बदलने के लिये लाईसेंसधारी को कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी ।

परन्तु यह कि आबकारी आयुक्त द्वारा पर्याप्त कारणें को लेखबद्ध करने के पश्चात् अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में उपरोक्त शर्तो में छूट प्रदान की जा सकेगी।

(नोटः राज्य सरकार के पत्र कमांक प.4(1)वित्त/आब/ 2008 दिनांक 21.01.2009 से राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 (2) के अन्तर्गत शिथिलता प्राप्त कर राज्यभर में शिथिलता के अन्तर्गत संचालित दुकानों के आदेश को प्रत्याहरित (Withdraw) करने के निर्देश प्रदान किये थे इसकी पालना में इस कार्यालय के आदेश कमांक प.32(बी)(42) आब/एल/2006/2612 दिनांक 21.01.2009 से राज्य में नियम 75 के अन्तर्गत प्रदत्त शिथिलता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया गया।)

स्पटीकरण –

(1) नियम 75 के उपनियम (2) के उद्धेश्य के लिये पूजा के स्थान से दुकान की दूरी के संबंध में प्रतिबन्ध एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में केवल उन्हीं स्थानों के लिये लागू होगे जो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली सूची में वर्णित होगें।

(2) हरिजन कॉलोनी से तात्पर्य नगर पालिका के ऐसे वार्ड से है जिसवमें अन्तिम जनगण्ना के अनुसार वार्ड की समस्त जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जाति के हों ।

(3) महाविद्यालय या सीनियर सैकेन्डरी स्कूल स्तर के विद्यालयों से भिन्न शैक्षणिक संस्थापन के समीप स्थिति कोई दुकान संस्थान के बंद होने के कम से कम एक घंटे पश्चात् खोली जावेगी ।

(4) नियम 75 के उप नियम (2) के उद्धेश्य के लिये मनोरंजन स्थान से तात्पर्य केवल थियेटर अथवा सिनेमा हॉल से है,

राजस्व हित की आड़ मे आबकारी विभाग के अधिकारी ही कर रहे नियमो की ऐसी की तेसी|

झोटवाड़ा औद्द्योगिक क्षेत्र की दर्जनो फैक्ट्रियों मे काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरो के घर मे भले ही चूल्हा नहीं जले,भले ही इनके बीबी बच्चे भूखों मरे,या फिर रोज रोज उनसे मार-पीट करें,लेकिन यह दिहाड़ी मजदूर राजस्व हित को सर्वोपरि मानते हुए,इस दुकाननुमा मिनी बार मे शराब का नित्य सेवन कर,अपना कर्तव्य निभा रहे है|साथ ही इस शराब की दुकान की लोकेशन पास करने वाले तमाम ईमानदार और कर्तव्यपरायण अधिकारी भी "राजस्व हित मे इस दुकान की लोकेशन पास कर राज्य की तरक्की मे अपना योगदान दे रहे है|शराब के ठेकेदार के बलिदान की तो बात ही क्या कहे,राजस्व हित मे उसके बलिदान की कहानी लिखने मात्र से ही हमारी आंखो मे आँसू आ जाते है|यह शराब ठेकेदार भले ही पिछले साल लाखो-करोड़ो का घाटा खाया हो लेकिन इस साल भी राजस्व हित मे मैदान मे डटा हुआ है और दिहाड़ी मजदूरो को अद्दे,पव्वे पिला-पिला कर अपनी गारंटियाँ पूरी करने का जी-तोड़ प्रयास कर रहा है,साथ ही राजस्व हित मे अपनी भागीदारी निभा रहा है|

क्या जिम्मेदार अधिकारियों का जागेगा जमीर और करेंगे इस दुकान की लोकेशन निरस्त करने की हिम्मत?

क्रम	जिम्मेदार अधिकारी	नाम
1	जिला आबकारी अधिकारी	एमडी मीणा
2	अतिरिक्त जिला आबकारी अधिकारी	गौरवमणि जौहरी
3	आबकारी निरीक्षक	जयकृत सिंह

देखना यह है कि यह मामला जिम्मेदारों के संज्ञान मे आने के बाद वह इस दुकान की लोकेशन निरस्त करेंगे या फिर अपने रटे-रटाये जवाबो से अपने आला अधिकारियों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे|वैसे देखा जाए तो अधिकारियों का जमीर जागने की संभावना कम है|